

दिनांक 24-5-21 को चि हो ठव ठव T.I की  
बर्ध बर्ध जाती है


उपखण्ड अधिकारी  
महवा (जिला दौरा)

दिनांक 02-08-2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्र  
आज पेश हुई। प्रार्थीगण मय वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या  
व 2 मय वकील उपस्थित। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र  
अंकित किया है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है  
इसलिये प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा  
चलाना नहीं चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई  
निषेधाज्ञा फैसल करने के आदेश प्रदान करें। इसके अलावा  
प्रार्थीगण का वाद भी खारिज हो चुका है।

चूंकि प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा  
चलाना नहीं चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई  
निषेधाज्ञा नहीं चलाने के कारण खारिज किया जाता है  
प्रार्थीगण के पक्ष में जारी अन्त. अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक  
04-11-2020 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल सुन  
होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।

  
उप खण्ड अधिकारी  
महवा (दौरा)